महत्वपूर्ण / विशेष ध्यानाकर्षण

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में,
सत्र 2023–24 हेतु प्रोविजनली सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाएं।

पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2024 / 6362 **लखनऊःदिनांक**– 17·09·2024

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सत्र 2023–24 हेतु प्रोविजनली सम्बद्धता प्रदान किये गये संस्थानों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूच्य है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सत्र 2023–24 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानों को परिषद से प्रोविजनली सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। ऐसी समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना पूर्ण प्रोफाइल डाटा परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर संस्था लॉगिन के माध्यम से पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे उन संस्थाओं से सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता के लिए यू0राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जा सके।

परिषद की वेबसाइट पर संस्थाओं का प्रोफाइल पूर्ण करने हेतु संस्थान संबंधी निम्न सूचनाएं आवश्यक हैं:–

क्र0	जनपद	पी0सी0आई0 कोड	संस्था कोड	संस्था का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मोबाइल नं0	ई0मेल0 आई0डी0
1	2	3	4	5	6	7	8

जिन संस्थाओं का परिषद की वेबसाइट पर प्रोफाइल डाटा अपूर्ण है, वे **दिनांक 18–09–2024 से 21–09–2024 के मध्य** परिषद कार्यालय में अपनी संस्था संबंधी उपरोक्त सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उनकी संस्था पोर्टल पर उनका प्रोफाइल डाटा पूर्ण किया जा सके। संस्था पोर्टल पर प्रोफाइल डाटा पूर्ण किये बिना ऐसी संस्थाओं को परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप / परिषद / 2024 / 6363-67 **तद्दिनांक**– 17·09·2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उ0प्र0, कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. नोडल अधिकारी, यू0राईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव